लगभग 400 युवा उद्यमी, स्टार्टअप तथा कृषि से जुड़े युवा प्रगतिशील कृषक ने सिखी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी

❐ उद्योग और नये स्टार्टअप के लिए युवा पीढ़ी को राज्य सरकार हर संभव मदद के लिए तैयार - कवासी लखमा

❐ नवाचार, स्टार्टअप एवं उद्यमिता पर कार्यशाला आयोजित

❐ सफल युवा उद्यमियों ने साझा की अपने स्टाटअप की कहानी

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में ग्रामीण अर्थव्यवस्था को गति देने के लिए अनेक कदम उठाये जा रहे हैं। राज्य की उद्योग नीति में कृषि और वनोपज से जुड़े उद्योगों को प्राथमिकता दी गई है। खाद्य एवं वनोपज प्रसंस्करण के उद्योगों को प्रोत्साहित किया जा रहा है, इसके लिए उद्यमियों को भरपूर मदद दी जा रही है। मुख्यमंत्री बघेल का मानना है कि राज्य के युवा उद्यमिता से जुड़ेंगे तो वे अन्य लोगों को भी रोजगार देंगे, इससे छत्तीसगढ़ की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलेगी। यह विचार रायपुर के इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कृषि सभागार में नवाचार, स्टार्टअप और उद्यमिता पर आयोजित कार्यशाला में उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने व्यक्त किये।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री कवासी लखमा ने युवाओं से भी उद्योग के क्षेत्र में आने का आह्वान करते हुए कहा कि राज्य सरकार उनकी पूरी मदद के लिए

तैयार है। उन्होंने कहा कि आदिवासी क्षेत्रों में वनवासियों के जमीन और उनके वनाधिकारों को संरक्षित रखते हुए शासकीय जमीन पर उद्योग शुरू करने की पहल सरकार ने की है। राज्य सरकार ने उद्यमियों और नवाचारों के अनुकूल उद्योग नीति लागू की है। इस अवसर पर आईआईटी कानपुर और आईआईएम कोलकाता के साथ आईजी के.वी. राबी (इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय, रायपुर-एग्री बिजनेस इन्क्यूबेटर) ने एमओयू किया। इसके साथ ही अतिथियों द्वारा आईजी के.वी. के 3 प्रकाशनों का विमोचन भी किया गया।

उद्योग एवं वाणिज्य मंत्री लखमा ने आगे कहा कि छत्तीसगढ़ में खनिज भंडार सहित वनोपज प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। इसके प्रसंस्करण के लिए राज्य सरकार ने लघु युनिट को बढ़ावा दे रही है। राज्य के प्रोत्साहन से आज बस्तर भी बदल रहा है। दंतेवाड़ा के डेनेक्स में तैयार कपड़े बम्बई और बैंगलोर में बेचे जा रहे हैं। छत्तीसगढ़ के दूरस्थ वनांचल क्षेत्र बस्तर और सरगुजा में युवाओं को स्टार्टअप के मार्गदर्शन के लिए शिविर लगाने की आवश्यकता है, ताकि किसानों को आधुनिकतम उन्नत तकनीक और कृषि उद्योग की जानकारी मिल सके। इस दिशा में समाज और छत्तीसगढ़ को आगे बढ़ाने का काम कृषि वैज्ञानिक कर सकते हैं।

कार्यशाला में युवा उद्यमियों द्वारा अपने स्टार्टअप के सफलता की कहानी भी साझा की। उन्होंने नये स्टार्टअप शुरू करने के संबंध में युवाओं और किसानों को मार्गदर्शन भी दिया। कार्यशाला में स्टार्टअप एवं निवेशकों के मध्य सेतु का कार्य, स्टार्टअप को बैंक एवं अन्य संसाधनों से ऋण एवं निवेश उपलब्ध कराने सहित कई महत्वपूर्ण जानकारियां दी गईं। इस दौरान इंदिरा गांधी कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति डॉ. गिरीश चंदेल, लगभग 400 युवा उद्यमी तथा कृषि से जुड़े युवा प्रगतिशील कृषक, कृषि वैज्ञानिक, नाबार्ड की अधिकारी और विश्वविद्यालय के विशेषज्ञ उपस्थित थे।

उल्लेखनीय है कि राजधानी रायपुर में अन्तर्राष्ट्रीय कृषि मड़ई ''एग्री कार्नीवाल 2022'' का आयोजन किया जा रहा है। आयोजन के दूसरे दिन भी कृषि प्रदर्शनी के साथ कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। जिसमें अन्तर्राष्ट्रीय एवं राष्ट्रीय स्तर के कृषि संस्थानों के निदेशकों, कृषि वैज्ञानिकों विभिन्न कृषि उत्पाद निर्माता कम्पनियों के वरिष्ठ अधिकारियों, स्टार्टअप्स उद्यमियों एवं बड़ी संख्या में प्रगतिशील कृषक शामिल हुए।

महत्वपूर्ण एवं खास

मुख्यमंत्री ने शांति मंडावी की मृत्यु पर जताया गहरा दुख

मृतक के परिवारजनों को चार लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की

कोण्डागांव (आरएनएस)। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 14 अक्टूबर को माकड़ी के मांझीबोरण्ड में कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान घायल शांति मंडावी की आज रायपुर के निजी अस्पताल में उपचार के दौरान हुई मृत्यु पर गहरा दु:ख व्यक्त किया है । उन्होंने शांति मंडावी के परिवारजनों के प्रति संवेदना व्यक्त करते हुए मृतक के परिवारजनों को 04 लाख रुपये की आर्थिक सहायता मंजूर की है। मुख्यमंत्री ने मृतक के परिवारजनों को सहायता राशि उपलब्ध कराने के निर्देश अधिकारियों को दिए हैं। गौरतलब है कि माकड़ी विकासखण्ड के ग्राम मांझीबोरण्ड निवासी शान्ति मंडावी पति उमेश मंडावी कबड्डी प्रतियोगिता के दौरान शुक्रवार को घायल हो गयी थीं। जहां से उन्हें माकड़ी सामुदायिक केंद्र में प्राथमिक उपचार के उपरांत हालात सामान्य ना होने पर उच्चस्तरीय इलाज हेतु रायपुर के निजी अस्पताल में रिफर कर दिया गया था। जहां उपचार के दौरान उनकी मृत्यु हो गयी थी। इस दौरान जिला प्रशासन के अधिकारियों ने मृतक महिला के गृह ग्राम पहुंचकर शोक संतप्त परिजनों को ढांढस बंधाया।

छात्रा के जहर सेवन मामले में जांच कमेटी गठित

कांकेर (आरएनएस)। विकासखंड कांकेर अंतर्गत शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय कन्हारपुरी मैं कक्षा 11 वीं में अध्ययनरत ग्राम बारदेवरी निवासी कुमारी दुर्गेश्वरी मंडावी द्वारा जहर सेवन कर आत्महत्या कर लेने के प्रकरण में कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डॉ. प्रियंका शुक्ला द्वारा जिला स्तरीय कमेटी का गठन किया गया है। जांच समिति में राजीव गांधी शिक्षा मिशन के जिला परियोजना समन्वयक आर.पी. मिरे, समाज कल्याण विभाग के उपसंचालक सिनीवाली गोयल, महिला एवं बाल विकास विभाग के बाल संरक्षण अधिकारी रीना लारिया और सहायक खंड शिक्षा अधिकारी कांकेर दीपक ठाकुर को शामिल किया गया है। जांच समिति उक्त प्रकरण की विस्तृत जांच कर 17 अक्टूबर तक जांच प्रतिवेदन जिला शिक्षा अधिकारी कांकेर के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत करेंगे।

किशोरी से दुष्कर्म का मामला: वीडियो बनाकर करता रहा ब्लैकमेल, कोर्ट ने सुनाई उम्रकैद की सजा

कोरबा (आरएनएस)। शहर के बुधवारी बस्ती में रहने वाले एक युवक ने आदिवासी किशोरी से दुष्कर्म किया था। वीडियो बनाकर वह ब्लैकमेल करते हुए 2 साल तक दुष्कर्म करता रहा। मामले में दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। बुधवारी बस्ती निवासी युवक शमशेर अली मार्च 2016 में एक आदिवासी किशोरी के घर घुसकर उससे दुष्कर्म किया था। घटना के समय किशोरी के परिजन बाहर गए थे। शमशेर ने किसी को घटना के बारे में नहीं बताने की धमकी दी। किशोरी डर से चुप रही। शमशेर मोहल्ले में बदनाम करने की बात कहते हुए उससे लगातार दुष्कर्म करने लगा। उसका वीडियो भी बनाया। किशोरी बालिग हुई तो उसकी शादी तय हुई। तब शमशेर पीड़िता के साथ ही उसके परिजन को वीडियो सोशल मीडिया में वायरल करने की धमकी देने लगा। यहां तक कि उसने जिस युवक से शादी तय हुआ था, उसका वीडियो दिखाकर रिश्ता तुड़वा दिया। पीड़िता व उसके परिवार को ब्लैकमेल कर 1 लाख रुपए मंगाने लगा। परेशान होकर पीड़िता ने पुलिस से शिकायत की। मामले में दुष्कर्म, धमकी, ब्लैमेलिंग के साथ ही एट्रोसिटी एक्ट व पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज कर आरोपी शमशेर को गिरफ्तार कर लिया है। तब से वह जेल में बंद था। दूसरी ओर मामले की सुनवाई विशेष न्यायालय में चल रही थी, जहां शासन की ओर से विशेष लोक अभियोजक अरूण कुमार ध्रुव ने पक्ष रखते हुए पर्याप्त साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए आरोपी शमशेर को दोषी साबित किया।

छत्तीसगढ़ में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि, विगत 3 वर्षों में 7217 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति

❐ छत्तीसगढ़ खनिज भण्डार नियम: विभाग को बनाया गया सशक्त

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में विगत तीन वर्षों में कोयला खनन से प्राप्त राजस्व में उत्तरोत्तर वृद्धि दर्ज करते हुए 7 हजार 217 करोड़ रूपए के राजस्व की प्राप्ति हुई है। इनमें राज्य को कोयला खनन से प्राप्त राजस्व वर्षवार 2019-20 में 2 हजार 337 करोड़ रूपए, 2020-21 में 2 हजार 356 करोड़ रूपए तथा 2021-22 में 2 हजार 524 करोड़ रूपए है। यह उपलब्धि मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व में राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ खनिज भण्डारण नियम 2009 के कुशल क्रियान्वयन से हासिल हुई है। गौरतलब है कि छत्तीसगढ़ खनिज भण्डारण नियम, 2009 के तहत विशेष परिस्थिति में खनिज पट्टेधारियों एवं अनुज्ञप्तिधारियों को खनिज प्रेषण पूर्व जिला कार्यालय को प्रस्तावित खनिज की मात्रा, ग्रेड प्राप्तकर्ता इत्यादि विषयक जानकारी दिये जाने के प्रावधान है। इस तारतम्य में कोयले के प्रेषण हेतु जारी होने वाले डीओ की जांच के संबंध में विभाग द्वारा प्रचलित व्यवस्था के संबंध में अवगत कराया गया है। इसके तहत प्रदेश में कोयला खदानों का संचालन एवं प्रेषण प्रमुख रूप से भारत सरकार का उपक्रम एसईसीएल द्वारा किया जाता है। एसईसीएल द्वारा विभिन्न स्कीम यथा लिंकेज, ईऑक्शन आदि के माध्यम से पावर एवं नॉनपावर श्रेणी अनुसार विभिन्न उपभोक्ताओं को कोयला प्रदाय किया जाता है। कोयले पर राज्य शासन को देय रायल्टी एसईसीएल द्वारा स्कीम अनुसार प्रदाय किये जा रहे कोयले के बेसिक सेल प्राईस का 14 प्रतिशत होता है। स्कीमवाईज पावर एवं नॉनपावर श्रेणी एवं ग्रेडवाईस कोयले के बेसिक सेल प्राईस में व्यापक अंतर होता है।

अतएव कोयला किस स्कीम के तहत किस उपभोक्ता को विनिर्दिष्ट स्थान हेतु प्रेषित किया जा रहा है कि प्रेषण पूर्व रायल्टी एवं राज्य शासन को देय इस पर देय अन्य भुगतानों यथा डीएमएफ पर्यावरण उपकर, अधोसंरचना उपकर की पूर्व जानकारी विभाग को होना आवश्यक होती है। संचालित खनिज ऑनलाईन पोर्टल के तहत ऑटो अप्रूव्हल आधारित ई-परमिट एवं ई-ट्रांजिट पास व्यवस्था में कोयला खान संचालकों द्वारा किस स्कीम के तहत किस उपभोक्ता को कोयला के ग्रेड, साईज, मात्रा, गंतव्य स्थल इत्यादि विषयक जानकारी विभाग के मैदानी अमले को खदान से कोयला प्रेषण पूर्व नहीं हो पाता था। इसके मद्देनजर 15 जुलाई 2020 निर्देश के तहत कोयला खान मालिको को खान से विभिन्न संस्थानों, उपभोक्ताओं को कोयला प्रेषण हेतु खनिज ऑनलाईन पोर्टल से डिलीवरी आर्डर के आधार पर ई-परमिट जारी करने के पूर्व निर्धारित प्रपत्र में संबंधित जिले के खनि अधिकारी को आवेदन एवं अनुमति का प्रावधान किया गया है।

गूगल मैप के माध्यम से हाइवे पर की जाएगी निगरानी

❐ आईटीएमएस में तैनात कर्मचारी 24 घंटे रखेंगे एन.एच. पर निगरानी

❐ लाल ,नीला ,ऑरेंज कलर बताएगा जाम की स्थिति

दुर्ग (आरएनएस)। गूगल मैप के जरिए अब यातायात कर्मचारी हाइवे पर निगरानी रखेगी। इसके लिए आईटीएमएस कर्मचारी 24 घंटे तैनात रहेंगे। जिसमें नीला, ऑरेंज, लाल कलर यातायात की स्थिति को बता पाएंगे।

डॉ. अभिषेक पल्लव, पुलिस अधीक्षक दुर्ग के निर्देश में एवं विश्वास चंद्राकर, अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक यातायात के मार्गदर्शन एवं सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात के नेतृत्व में यातायात पुलिस दुर्ग द्वारा लगातार यातायात व्यवस्था को सुगम एवं सुरक्षित बनाने का प्रयास करती आ रही है। इसी कड़ी में पुलिस नियंत्रण कक्ष, सेक्टर 06 में सतीश ठाकुर, उप पुलिस अधीक्षक यातायात एवं अनीष सारथी, रक्षित निरीक्षक यातायात व आईटीएमएस टीम की उपस्थिति में गुगल मैप से जाम की स्थिति जानने को लेकर आईटीएमएस कर्मचारियों को बताया गया। जिससे नेशनल हाईवे अंजोरा से कुम्हारी मार्ग को 24 घंटे निगरानी में रखा जायेगा।

बाल सुधार गृह से एक बार फिर चार बच्चे हुए फरार, एक पकड़ाया

दंतेवाड़ा (आरएनएस)। जिले के सिटी कोतवाली थाना क्षेत्रांतर्गत बाल सुधार गृह से एक बार फिर शुक्रवार की रात बाल सुधार गृह से 04 बच्चे खिडक़ी की ग्रिल तोडक़र फरार हो गए। इनमें से एक बच्चे को पकड़ लिया गया है, जबकि तीन अभी भी फरार बताए जा रहे हैं।

प्राप्त जानकारी के अनुसार बच्चों ने बड़े ही शातिराना तरीके से पहले खिडक़ी की ग्रिल को तोड़ा और फिर करीब 12 फीट लंबी दीवार फांदकर जंगल की तरफ भाग खड़े हुए फिलहाल पुलिस तीनों को अब तक नहीं ढूंढ पाई है। आपको बता दें कि दंतेवाड़ा के बाल सुधार गृह से बच्चों के भागने की यह पहली घटना नहीं है। करीब साढ़े तीन महीने पहले 07 जुलाई 2022 को बाल सुधार गृह से 09 बच्चे चौकीदार को बंधक बनाकर भागने में सफल रहे थे। इनका अभी तक कोई सुराग नहीं मिल सका है। वहीं अब एक बार पुन: बाल सुधार गृह से बच्चों के भागने से यहां की व्यवस्था पर प्रश्नचिन्ह खड़े होने लगे हैं।

यहां यह भी बताया जाना आवश्यक है कि नक्सल प्रभवित इलाकों के बच्चे यहां से भागकर आखिर कहां लापता हो गये, इन बच्चों को नक्सली अपने पनाह में लेकर नक्सल गतिविधियों में शामिल करने की आशंका को नकारा नही जा सकता है।

मुख्यमन्त्री के ट्वीट पर रि-ट्वीट कर पेंशनरों के लिए दिवाली के पहले महंगाई राहत और मासिक पेंशन मांगा

❐ महंगाई भत्ता देने में पक्षपात से पेंशनरों में नाराजगी

रायपुर (आरएनएस)। भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ के राष्ट्रीय महामंत्री व छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव ने मुख्यमन्त्री भूपेश बघेल के ट्वीट पर रि-ट्वीट कर राज्य के पेंशनरों के लिए दीपावली के पूर्व महंगाई राहत मांग की और साथ में मासिक पेंशन को भी 23 अक्टुबर से पहले बैंक खाते में जमा करने हेतु जरूरी कार्यवाही करने का आग्रह किया है।

जारी विज्ञप्ति में छत्तीसगढ़ राज्य सँयुक्त पेंशनर फेडरेशन के अध्यक्ष वीरेन्द्र नामदेव और फेडरेशन से जुड़े संगठन पेंशनर्स एसोसिएशन छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष यसवंत देवान, छत्तीसगढ़ प्रगतिशील पेंशनर्स कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष आर पी शर्मा,तथा छत्तीसगढ़ पेंशनधारी कल्याण संघ के प्रांताध्यक्ष डॉ डी पी मनहर,भारतीय राज्य पेंशनर्स महासंघ छत्तीसगढ़ के प्रांताध्यक्ष जे पी मिश्रा,रायपुर जिला के अध्यक्ष आर जी बोहरे ने सवाल उठाया है कि राज्य सरकार ने 5त्न महंगाई भत्ता की वृद्धि करके कर्मचरियो-अधिकारियों छत्तीसगढ़ राज्य के कोष से 33त्न प्रतिशत महंगाई भत्ता देने का आदेश जारी किया गया है।एक अन्य आदेश में बिजली विभाग ने अपने कर्मचारी वर्ग को केन्द्र के बराबर केन्द्र के देय तिथि 1 जुलाई 22 से एरियर सहित नगद भुगतान के आदेश किया है। राज्य में भारतीय प्रशासनिक सेवा के अधिकारी 31त्न महंगाई भत्ता ले रहे है,परंतु राज्य के पेंशनरों और परिवार पेंशनरों को फिर भूला राज्य सरकार, सम्प्रति बुजुर्ग पेंशनरो को केवल 28त्नप्रतिशत महंगाई भत्ता दे रही है।देश में एक ही प्रदेश में चार अलग अलग दर से महंगाई भत्ता देने वाले अकेला राज्य बन गया है।ऐसा पक्षपात क्यों? यह पेंशनरों व परिवार पेंशनरों के साथ घोर अन्याय है।वर्तमान केन्द्र से घोषित महंगाई भत्ता क्रमश: जुलाई 21 से 3त्न,जनवरी 22 से 3त्न और जुलाई 22 से 4त्न इस तरह कुल 10त्न प्रतिशत पेंशनरो का बकाया है। इसे दीपावली के पहले देने की मांग की है।

बेटे को बुलेट नहीं मिली तो बनाई अपहरण की झूठी कहानी : मैसेज कर बोला-कार से कहीं ले जा रहे हैं, ये मुझे मार देंगे

कोरबा (आरएनएस)। कोरबा जिले में पिता के बुलेट बाइक नहीं दिलाने पर बेटे ने खुद के अपहरण की झूठी साजिश रच डाली। मामला मानिकपुर चौकी क्षेत्र का है। इधर जैसे ही घर में बेटे की किडनैपिंग की बात पता चली, परिवार वाले परेशान हो गए। पिता ने पुलिस थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई, तब जाकर जांच में पूरे मामले का पर्दाफाश हो गया।

अधिकारिक जानकारी के अनुसार मानिकपुर कॉलोनी में रहने वाले 8वीं के छात्र को बुलेट चलाने का शौक था। उसने अपने पिता से बाइक दिला देने की जिद की। लडक़े की उम्र अभी 18 साल भी नहीं हुई है, ऐसे में इस अनुचित मांग को पूरा करने से पिता ने मना कर दिया। वहीं छात्र किसी भी तरह से अपने शौक को पूरा करना चाहता था और उसने अपने झूठे अपहरण की साजिश रच डाली। उसने बुधवार को अपने मोबाइल से घरवालों को मैसेज किया कि उसका अपहरण कुछ लोगों ने कर लिया है। उसे चारपहिया वाहन से कहीं ले जाया जा रहा है। मुझे जान से मारने की धमकी भी दी गई है। ये मुझे मार देंगे।

ये मैसेज पढ़ते ही परिवार वालों के होश उड़ गए। उन्होंने तुरंत मानिकपुर चौकी में किडनैपिंग की शिकायत दर्ज कराई। पुलिस ने तुरंत विशेष टीम गठित की। पुलिस ने पाया कि नाबालिग लडक़े के मोबाइल से ही उसे मार देने की धमकी दी जा रही थी। ये देख पुलिस ने साइबर सेल से संपर्क कर मोबाइल की लोकेशन को ट्रेस किया। पुलिस टीम में शामिल परमेश्वर राठौर और आलोक टोप्पो लोकेशन के आधार पर पत्थलगांव रवाना हो गए, जहां बच्चे को गुरुवार को सकुशल बरामद कर लिया गया। मानिकपुर चौकी ललन सिंह पटेल ने बताया कि नाबालिग की उम्र 17 साल है। वो परिजनों को डराने वाले मैसेज भेज रहा था। पूछताछ में उसने बुलेट के लिए झूठी अपहरण की साजिश रचने की बात स्वीकार कर ली। पुलिस ने लडक़े के पिता को बुलाया और उनके सामने समझाया गया कि कभी भी अनुचित मांगों के लिए माता-पिता को परेशान नहीं करते। गलत काम का नतीजा हमेशा गलत होता है। पुलिस के समझाने पर छात्र ने भी आगे से ऐसा कोई कदम नहीं उठाने की बात कही। नाबालिग छात्र का बयान दर्ज कर पुलिस ने उसे परिजनों को सौंप दिया है।

26 नदियों के तट पर लगाए गए 15 लाख से अधिक पौधे

❐ हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित होंगे नदी तट

रायपुर (आरएनएस)। छत्तीसगढ़ में चालू वर्षा ऋतु 2022 के दौरान 'नदी तट वृक्षारोपण' कार्यक्रम के तहत 26 विभिन्न नदियों के तट पर लगभग 15 लाख 41 हजार पौधों का रोपण किया गया है। इसके रोपण से नदी तट के 01 हजार 400 हेक्टेयर रकबा हरीतिमा से आच्छादित और फल-फूल के पौधों से सुरभित होंगे, जो विशेष आकर्षण का केन्द्र होगा। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल की मंशा के अनुरूप वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री मोहम्मद अकबर के मार्गदर्शन में विभाग द्वारा नदी तट रोपण का कार्य किया गया। इनका रोपण कैम्पा तथा विभागीय मद सहित नदी तट वृक्षारोपण कार्यक्रम के तहत किया गया है। नदी तट रोपण कार्यक्रम के तहत चालू वर्ष के दौरान शामिल नदियों में शिवनाथ, फुलकदेई, केंदई, लीलागर नदी, महानदी, हसदेव, आगर, रेड नदी, मेघानाला, झींका नदी, मोरन, सोंढूर, बांकी नदी, गलफुला, हसदो नदी, नेउर नदी, केवई, खटम्बर, भैसुन, चूंदी, भवई नदी, बनास नदी, रांपा नदी तथा भुलू नदी आदि शामिल हैं।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख संजय शुक्ला ने बताया कि इनमें से बिलासपुर वृत्त अंतर्गत बिलासपुर, मरवाही, कोरबा, धरमजयगढ़ तथा जांजगीर-चांपा वन मंडल स्थित 8 नदियों के 263 हेक्टेयर रकबा में 2 लाख 89 हजार पौधों का रोपण किया गया है। इसी तरह कांकेर वृत्त अंतर्गत 4 नदियों के 19 हेक्टेयर रकबा में 20 हजार 595 पौधे तथा रायपुर वृत्त अंतर्गत 2 नदियों के 29 हेक्टेयर रकबा में 31 हजार 900 पौधों का रोपण किया गया है। इसके अलावा सरगुजा वृत्त अंतर्गत सूरजपुर, बलरामपुर, कोरिया तथा मनेन्द्रगढ़ वन मंडल स्थित 12 नदियों के 1 हजार 76 हेक्टेयर रकबा में 11 लाख 84 हजार पौधों का रोपण किया गया है।

SJU - Contact No. +91 9301915303 E-mail ID- sjunion29@gmail.com

Social Justice Union

Registered with Govt. No. 5526

Join SJU

अधिकार से न्याय तक

आवश्यकता

इस संघ का गठनसम्पूर्ण छत्तीसगढ़ में पीड़ितों को न्याय दिलाने के लिए किया गया है, जिसे छत्तीसगढ़ शासन से मान्यता प्राप्त है, जिसका क्रमांक 5526 है, तथा सम्पर्क हेतु नं0 9301915303 है। इस संघ के गठन पर संघ के संरक्षक एवं लीगल एडवाईज़र श्री तथागत श्रीवास्तव (अधिवक्ता, माननीय उच्च-न्यायालय), एवं गवर्निंग बोर्ड के सदस्यों कु0 सी.बी.वर्मा, श्रीमती ऐकता श्रीवास्तव, श्रीमती रजनी ताकुन्दे एवं अन्य ने शासन को धन्यवाद ज्ञापित किया, और कहा कि संघ के पास सामाजिक अन्याय अथवा मानवाधिकार हनन सम्बंधी तथ्य के प्रस्तुत होने पर, उसे लिखित में शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन एवं सक्षम व्यक्तियों के समक्ष संघ की ओर से प्रस्तुत किया जावेगा। साथ ही, विधि, न्याय सम्बंधी कार्य हाथ में लेकर बेसहारा, गरीब, परित्यक्ता, विधवाओं के उत्थान के लिए कार्य किया जावेगा।

उद्देश्य एवं नियुक्तियां

मुख्य रूप से संघ का उद्देश्य छत्तीसगढ़ प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर में सामाजिक न्याय हेतु प्रचार-प्रसार करना, तथा मानवाधिकार हेतु जागरूकता पैदा करना है। संघ साक्षरता एवं अनौपचारिक शिक्षा के माध्यम से मानवाधिकार के सम्बंध में प्रचार प्रसार करना चाहता है। इस हेतु प्रदेश के समस्त जिलों एवं ब्लॉक स्तर पर सामाजिक न्याय एवं मानवाधिकार संरक्षण केन्द्र की स्थापना की जावेगी, और उनमें संघ के द्वारा आधिकारिक नियुक्तियां की जावेगी। प्रत्येक व्यक्ति इस संघ में सदस्य बन सकता है, जिसके लिए संघ के द्वारा निर्धारित नियम एवं शर्तों का पालन किया जाना अनिवार्य है। इस हेतु सदस्यता फार्म संघ के प्रधान कार्यालय में उपलब्ध है।

मुख्य बिन्दु

प्रताड़ित एवं पीड़ित व्यक्ति की समस्याओं को सुनना, आवेदन लेना तथा पीड़ित को न्याय दिलाने के लिए उचित साधन एवं संसाधनों की जरूरत के अनुसार व्यवस्था करना मूल रूप से इस संघ का कार्य है। पीड़ित व्यक्तियों को न्यायिक, गैर-न्यायिक एवं सामाजिक समस्या पर विधिनुसार एवं संविधान के अनुसार आवश्यक मदद की जावेगी।

पीड़ित संपर्क करें

संघ विशेष रूप से मानवाधिकार दिलाने एवं सामाजिक न्याय प्राप्ति हेतु पीड़ित मानव की हर संभव मदद करेगा तथा इस हेतु पीड़ित मानव के लिए भारतीय संविधान के तहत् विधिक सहायता की व्यवस्था आवश्यकतानुसार करेगा। यदि कोई पीड़ित है तो इस संघ से सम्पर्क कर सकता है।

अन्य बिन्दु

- संघ पर्यावरण संरक्षण एवं पर्यावरण सम्बंधी चेतना हेतु भी जागरूकता लाने का प्रयास करेगा।
- पूरे छत्तीसगढ़ प्रदेश में महिलाओं के अधिकार, श्रमिकों के अधिकार, आदिवासियों के अधिकार, अनुसूचित जाति-जनजातियों के अधिकारों के सम्बंध में विधिक एवं संवैधानिक तौर के कार्यक्रमों को इस संघ द्वारा संचालित किया जावेगा तथा प्रत्येक पीड़ित को उसके कर्तव्यों एवं अधिकारों के बारे में सचेत किया जावेगा। न्याय प्राप्ति हेतु हर संभव मदद की जावेगी।
- संघ शासन से मान्यता प्राप्त है, अतः शासन एवं प्रशासन में विभिन्न पदों पर आसीन तक पीड़ित की परेशानी को आसानी से पहुँचाया जा सकता है। इस हेतु संघ शासन एवं प्रशासन में विभिन्न महत्वपूर्ण पदों पर आसीन व्यक्तियों से मुलाकात कर पीड़ित को न्याय दिलाने में समस्त सहायता भी करेगा।
- संघ द्वारा संवैधानिक शिक्षा एवं सामाजिक विकास से सम्बंधित रिसर्च कार्यक्रम किए जावेंगे, एवं समान उद्देश्यों वाली अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय, सरकारी तथा गैरसरकारी संस्थाओं के साथ मिलकर काम किया जावेगा।
- संघ सामाजिक कुरीतियों को दूर करने के लिए कार्यशाला का आयोजन भी करेगा। संघ देश के भूले बिसरे पर महान विभूतियों के सम्मान में कार्यक्रम भी आयोजित करायेगा।

पढ़िए .... न्यायसाक्षी समाचार-पत्र

:: Address ::
Behind Stadium
Near Career
School, Raigarh,
C.G.
Pin 496001

www.nyaysakshi.com

सभी से अपील की गई है कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में संघ से जुड़कर साथ का साथ दिया जावे ताकि प्रत्येक पीड़ित मानव को न्याय मिल सके एवं एक अच्छे समाज का निर्माण हो सके।

Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU Join SJU